

सं0 21034/34/2007- रा०भा० (प्रश्न०)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

16 AUG 2007

लोकनायक भवन, खान मार्केट,  
नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2007

### कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना के अधीन प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर  
मिलने वाले प्रोत्साहन-नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि।

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 10.2.95 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/3/94-हिशियो (मु) में आंशिक संशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने दिनांक 21.6.2007 से अथवा उन परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की तारीख से, जिनसे वे पात्र बने, नकद पुरस्कारों की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो निम्न प्रकार है:-

<u>परीक्षा</u>	<u>नकद पुरस्कार</u>
<u>हिंदी भाषा</u>	
<u>क.</u> <u>प्रबोध</u>	
1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 800/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 400/-
3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 200/-
<u>ख.</u> <u>प्रवीण</u>	
1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रु. 1,200/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 800/-
3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रु. 400/-

परीक्षा

नकद पुरस्कार

ग. प्राइम

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर   | रु. 1,200/- |
| 2  | 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर  | रु. 800/-   |
| 3. | 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर  | रु. 400/-   |
| 2. | नकद पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी, जो पहले जारी किए गए आदेशों में निहित है।  |             |
| 3  | यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनकी दिनांक 21.6.2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या - 14(9)/ई.॥ (ए)/2007 के अनुसार जारी किया जा रहा है। |             |

*विजय कुमार गुप्ता*

(विजय कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (प्रशिक्षण)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डेस्क।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को उनकी फाइल सं.18/6/2005-हिं.शि.यो. (मु.) पर प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के संबंध में।
5. सभी उप निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना।
6. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को उनकी दिनांक 21.6.2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या - 14(9)/ई.॥ (ए)/2007 के संदर्भ में।
7. अतिरिक्त 100 प्रतियां।

सं0 21034/34/2007- राजभाषा (प्रश्नो)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

16 AUG 2007

लोकनायक भवन, खान मार्केट,  
नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2007

### कार्यालय ज्ञापन

विषय - हिंदी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी टंकण एवं आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन-नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि।

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 14.2.95 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/3/94-हिशियो (मु) में आंशिक संशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने दिनांक 21.6.2007 से अथवा उन परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की तारीख से, जिनसे वे पात्र बने, नकद पुरस्कारों की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो निम्न प्रकार है:-

#### परीक्षा

#### नकद पुरस्कार

##### का. हिंदी टंकण

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | 97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर                        | रु. 1,200/- |
| 2. | 95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | रु. 800/-   |
| 3. | 90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | रु. 400/-   |

##### ख. हिंदी आशुलिपि

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर                        | रु. 1,200/- |
| 2. | 92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | रु. 800/-   |
| 3. | 88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | रु. 400/-   |

2. नकद पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी, जो पहले जारी किए गए आदेशों में निहित है।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनकी दिनांक 21.6.2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या - 14(9)/ई.॥ (ए)/2007 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

विजय कुमार गुप्ता  
(विजय कुमार गुप्ता)  
अवर सचिव (प्रशिक्षण)

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डेस्क।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को उनकी फाइल सं.18/6/2005-हिं.शि.यो. (मु.) पर प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के संबंध में।
5. सभी उप निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना।
6. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को उनकी दिनांक 21.6.2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या - 14(9)/ई.॥ (ए)/2007 के संदर्भ में।
7. अतिरिक्त 100 प्रतियां।

सं0 21034/34/2007- राठभा० (प्रश्नो)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

16 AUG 2007

लोकनायक भवन, खान मार्केट,  
नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2007

### कार्यालय ज्ञापन

विषय:- निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं तथा स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं आदि की मान्यता प्राप्त हिंदी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन - एक मुश्त पुरस्कारों में वृद्धि

उम्र्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 16.2.95 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/3/94-हिशियो (मु) में आंशिक संशोधन करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने दिनांक 21.6.2007 से अथवा उन परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की तारीख से, जिनसे वे पात्र बने, एकमुश्त पुरस्कारों की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो निम्न प्रकार है:-

<u>परीक्षा</u>	<u>एक मुश्त पुरस्कार</u>
(1) हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	रु.1000/-
(2) हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	रु.1000/-
(3) हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	रु.1200/-
(4) स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ऐसी हिंदी परीक्षाएं, जिन्हें भारत सरकार (शिक्षा विभाग) द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष या उससे उच्च परीक्षा के रूप में मान्यता दी गई है।	रु.1200/-
(5) केंद्रीय हिंदी निदेशालय की "हिंदी डिप्लोमा पाठ्यक्रम" परीक्षा	रु.1200/-
(6) हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपलेखन परीक्षा	रु. 800/-
(7) हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा	रु.1500/-

2. एक मुश्त पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी, जो पहले जारी किए गए आदेशों में निहित है।
3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनकी दिनांक 21.6.2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या - 14(9)/ई.॥ (ए)/2007 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

*विजय कुमार*  
 (विजय कुमार गुप्ता)  
 अवर सचिव (प्रशिक्षण)

#### सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

#### प्रतिलिपि:-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डेस्क।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को उनकी फाइल सं.18/6/2005-हि.शि.यो. (मु.) पर प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के संबंध में।
5. सभी उप निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना।
6. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को उनकी दिनांक 21.6.2007 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या - 14(9)/ई.॥ (ए)/2007 के संदर्भ में।
7. अतिरिक्त 100 प्रतियां।